सरस्वती प्रसाद, आईएएस
अपर सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
चौथा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ
कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
फोन- 24362705, फैक्स: 24361062
ई-मेल: as-mdws@nic.in

अ.शा.पत्र सं. क्यू-17012/1/2012-स्टैट दिनांक: 19 जनवरी, 2016

प्रिय महोदय/महोदया,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) में हुई प्रगति की समीक्षा करने और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की शिक्षाओं को साझा करने के लिए माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री की अध्यक्षता में दिनाँक 3 फरवरी, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक-दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित कर रहा है। इस संबंध में माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल एवं स्वच्छता, भारत सरकार के उस समसंख्यक पत्र दिनाँक 6 जनवरी, 2016 की प्रति संलग्न है जो माननीय मुख्यमंत्रियों को संबोधित है और जिसमें उन्हें जल एवं स्वच्छता के प्रभारी मंत्री एवं सचिव को नामित करने के लिए कहा गया है।

2. स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के संबंध में निम्नलिखित मदों की समीक्षा की जाएगी:

- स्वच्छता कवरेज
- खुले में शौचमुक्त गाँवों की उपलब्धि और ओडीएफ जाँच में प्रगति
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

मंत्रालय की एमआईएस पर डाले गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की इन मदों की कार्यकारिता बैठक से पहले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ साझा की जाएगी।

3. बैठक में सहभागियों की कुछ सर्वोत्तम रीतियों का प्रसार करने का भी प्रस्ताव है। अत: आपसे अनुरोध है कि अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र की एक सर्वोत्तम रीति का लेख/पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण

भेजें। समीक्षा बैठक के दौरान प्रस्तुतीकरण के लिए देश के 10 सर्वोत्तम प्रस्तुतीकरणों का चयन किया जाएगा।

4. यह अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र के एसबीएम(जी) कोआर्डीनेटर के साथ भाग लें। इस समीक्षा बैठक में भाग लेने/प्रस्तुतीकरण देने के लिए आप अपने साथ अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र के 1-2 स्वच्छता चैंपियन भी ला सकते हैं। उनकी यात्रा तथा रहने/खाने का खर्च (यदि वे सरकारी कार्मिक न हों) एसबीएम(जी) के प्रशासन/आईईसी घटक से वहन किया जा सकता है।

सादर,

भवदीय,

हस्ता/-

(सरस्वती प्रसाद)

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कोआर्डीनेटरों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।